



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ 7, 1939

No. 548]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 4/2017- एकीकृत कर

सा.का.नि. 699(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवाकर नियम, 2017 है।

(2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियमों का लागू होना.—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017, जहां तक हो सके, एकीकृत कर के संबंध में उस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे केंद्रीय कर के संबंध में लागू होते हैं।

[फा. सं. 349/76/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 4/2017-Integrated Tax**

**G.S.R. 699(E).**—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with section 20 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Integrated Goods and Services Tax Rules, 2017.  
(2) They shall be deemed to have come into force on the 22<sup>nd</sup> day of June, 2017.
2. **Application of Central Goods and Services Tax Rules.**—The Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for carrying out the provisions specified in section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall, so far as may be, apply in relation to integrated tax as they apply in relation to central tax.

[F. No. 349/76/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.